भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 270
27 नवंबर, 2024 के लिए प्रश्न

खाद्यान्न की क्षति

270. श्री पर्वतगौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौदर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) देश में मानसून के दौरान विगत पांच वर्षों में भंडारण में क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार द्वारा खाद्यान्नों की क्षति के कारणों संबंधी कोई अध्ययन कराया गया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने ऐसी कठोर मौसम स्थितियों के कारण खाद्यान्नों की होने वाली क्षति से निपटने के लिए कोई नवीन और तकनीक आधारित समाधान निकाला है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भारी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और हैंडिलिंग करता है। खरीदे गए खाद्यान्नों को वैज्ञानिक पद्धति से भंडारित किया जाता है। सभी प्रकार की सावधानी के बावजूद, मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, वर्षा आदि के कारण खाद्यान्नों की बहुत ही कम (नगण्य) मात्रा क्षतिग्रस्त हो जाती है।

पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मानसून कारकों अर्थात् बाढ़, चक्रवात, वर्षा आदि के कारण एफसीआई के गोदामों में क्षतिग्रस्त होने वाले खाद्यान्नों की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है:

.....2/-

वर्ष	प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त खाद्यान्न (लाख टन में)	उठान की गई मात्रा (विकेंद्रीकृत खरीद को छोड़कर) (लाख टन में)	उठान की गई मात्रा की तुलना में क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का % (विकेंद्रीकृत खरीद को छोड़कर)
2019-20	0.017	455.13	0.0037
2020-21	0.015	688.57	0.0022
2021-22	0.006	766.08	0.0008
2022-23	0.004	675.83	0.0006
2023-24	0.101	445.95	0.0226

(ख) और (ग): बाढ़, वर्षा और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं खाद्यान्नों की क्षति का मुख्य कारण हैं।

(घ) और (ङ): केंद्रीय पूल के लिए खरीदे गए खाद्यान्नों को वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन किए गए गोदामों/साइलो में भंडारित किया जाता है।

*****